

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/45/2013-20/20-21 ^{50 टन} /राँची, दिनांक:- 03-02-2021

प्रेषक:

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:-

याँत्रिक प्रमण्डल, बनासो (हजारीबाग) के अन्तर्गत खुदिया वीयर योजना के गेटों सह उत्तोलन प्रणाली के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्यों के लिए रु० 109.387 लाख (एक सौ नौ लाख अड़तीस हजार सात सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. याँत्रिक प्रमण्डल, बनासो (हजारीबाग) के अन्तर्गत खुदिया वीयर योजना के गेटों सह उत्तोलन प्रणाली के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्यों के लिए रु० 109.387 लाख (एक सौ नौ लाख अड़तीस हजार सात सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

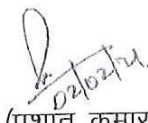
दो (02) अदद Head Regulator गेट, एक (01) अदद Under Sluice गेट, इम्बेडेड पार्ट्स, होइस्टिंग प्लेटफॉर्म, होइस्टिंग प्रणाली एवं रेलिंग, सीडी, शेड के साथ क्रॉस ओवर ब्रीज के निर्माण, आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य, जिसका अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत है :-

Sl. No.	Component	Amount (in Rs.)
1.	Fabrication, Supply, fitting, fixing and erection of H/R gate, embedded parts, rubber seal for H/R gate.	625422.76
2.	Fabrication, Supply, fitting & fixing of Hoisting arrangement of H/R gate.	734411.48
3.	Fabrication, supply, fitting, fixing and erection of U/S gate, embedding & bottom seal.	2370379.50
4.	Procurement of necessary parts for double rope drum system (25 MT Capacity) M.S., C.I. forged steel and CS materials all complete.	1861487.54
5.	Fabrication, supply, fitting, fixing & erection of U/S hoist bridge, shed on U/S hoist bridge.	1300604.18
6.	Cross over bridge for U/S gate side.	540602.60
7.	Other related work	2142315.80
8.	Maintenance	699796.50
	Total	9575223.86
	GST 12%	1442519.30
	Total	10724250.72
	Labour Cess 1%	107242.50
	CNC 1%	107242.50
		10938735.72
	Say	109.387 Lakh

3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक प्रमंडल, बनासो, हजारीबाग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता (याँत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,
मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुर्नस्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड-49S-4701-80-001-46-05-45) के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. वर्ष 2020-21 के लिए बजट शीर्ष 49S-4701-80-001-46-05-45 में रू० 563.00 लाख का प्रावधान है।
6. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्र के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
8. राशि की निकासी कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।
9. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
10. इन कार्यों को वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ करके एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
11. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
12. कार्य में निकलने वाले स्क्रेप का मूल्यांकन वर्तमान दर के 40% राशि के अनुसार करते हुए कृत कार्य के विपत्र की राशि से कटौती की जायेगी।
13. कार्य में निकलने वाले सामग्रियों का स्क्रेप मूल्य वर्तमान दर के 40% की राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
14. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
15. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
16. कार्य कराने वाली Agency द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त अगले तीन (03) वर्षों तक Repair & Maintenance कराया जायेगा।
17. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक-3112, दिनांक-14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,




(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/45/2013-20/20-21 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:-03-02-2021

प्रतिलिपि:-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/45/2013-20/20-21 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:-03-02-2021

प्रतिलिपि:- कोषागार, पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/45/2013-20/20-21 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:-03-02-2021

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई यांत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, बनासो, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/45/2013-20/20-21 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:-03-02-2021

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/45/2013-20/20-21 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:-03-02-2021

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)